राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर

Website - www.rajeduboard.rajasthan.gov.in

गोपनीय छपाई (यथा प्रश्न पत्र मुद्रण आदि) हेतु सालाना 10 करोड़ रूपये से अधिक टर्न ओवर वाले मुद्रणालयों से जानकारी आमंत्रित करने संबंधी सूचना पत्र दिनांक 08.08.2016

ख्याति प्राप्त गोपनीय मुद्रण कार्यों में व्यवसायरत् प्रतिष्ठानों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की 8वीं, 10वीं, 12वीं, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय तथा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई व जिला स्तर तक परिवहन का कार्य करवाया जाना है।

इसके लिए प्रेस के चयन के क्रम में प्रथम चरण में जो प्रेस इस कार्य में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है तथा जिनका पिछले पांच साल का वार्षिक टर्न ओवर वर्षवार 10 करोड़ रूपये से अधिक है उनसे निम्न सूचनाऐं दिनांक 23.08.2016 तक आमंत्रित हैं (सूचनाऐं गोपनीय रखी जायेंगी)

अधोलिखित सूचनाऐं मात्र फर्म्स की शोर्ट–लिस्टिंग के लिए काम में ली जायेंगी। शोर्ट लिस्टेड फर्म्स से निविदाएँ अलग से आमंत्रित की जायेंगी।

1. प्रेस का नाम – पता व स्वामित्व विवरण।
2. फर्म/कम्पनी के रूप में आदिनांक पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. फर्म/कम्पनी का पिछले 05 साल का चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वर्षवार वार्षिक टर्न ओवर 05 साल का वर्षवार चुकाए आयकर, वाणिज्य कर, सेवा कर का प्रमाण विवरण।
4. प्रेस कितने वर्षों से इस कार्य में कार्यरत है।
5. पिछले 10 वर्षों में कितने शिक्षा बोर्ड व अन्य राज्य स्तरीय सर्विस आयोगों के लिए यह कार्य करते रहे है।
6. क्या प्रिटिंग प्रेस आधुनिक कम्प्यूटराईज, स्वचालित है, कौन–कौनसे कार्य स्वचालित तरीके से होते है, तथा कौन–कौन से कार्य हाथ से किये जाते है ?
7.
    1. प्रेस के पास हिन्दी, अंग्रेजी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत व अन्य भाषाओं के मैनुस्क्रीप्ट से शुद्ध टंकण की क्या व्यवस्था है।
    2. प्रेस के पास हिन्दी, अंग्रेजी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत व अन्य भाषाओं के प्रश्न पत्रों की प्रूफ रीडिंग की क्या व्यवस्था है।
    3. प्रेस के पास परीक्षा केन्द्रवार संख्यानुसार प्रश्न पत्रों की छंटनी व पैकेजिंग की क्या व्यवस्था है।
    4. प्रश्न पत्रों पर नम्बरिंग की क्या व्यवस्था है।
    5. प्रेस के पास केन्द्रवार–प्रश्न पत्रवार बने पैकेट्स को किस प्रकार के लिफाफों में रखने की व्यवस्था है।
    6. प्रेस के पास इन लिफाफों के सींलिंग की क्या वर्तमान व्यवस्था है। क्या प्रेस के पास ट्रेडिशनल वैक्स सीलिंग के स्थान पर वैक्यूम लिफाफों की व्यवस्था है या कर सकती है?
    7. प्रेस के पास इन सील्ड लिफाफों को परीक्षा केन्द्रवार जमाकर पूर्वतः नए कोरूगेटेड बॉक्स में रखने व पैकेजिंग की क्या व्यवस्था है।
8. प्रेस की सिक्यूरिटी की क्या व्यवस्था है।
9. प्रेस के पास प्रश्न पत्रों के परिवहन की क्या व्यवस्था है।
10. प्रेस के मुख्यालय के अतिरिक्त ओर कौन–कौन से प्रांत में कार्यालय है।

11. क्या प्रेस मल्टीपल प्रश्न पत्रों का एक साथ ABCD के क्रम में छपाकर ऑटोमेटिक तरीके से उन्हें ABCD-ABCD-ABCD के क्रम में जमाने की क्षमता रखती है।

12. प्रेस के पास इन समस्त कार्यों की गोपनीयता बनाए रखने की क्या व्यवस्था है।

13. क्या प्रेस से गोपनीयता भंग होने की स्थिति में जीरो भुगतान की शर्त मानने को तैयार है अथवा प्रेस का प्रस्ताव कितने प्रतिशत कटौती का है ?

14. क्या प्रेस निविदा शर्तों के उल्लंघन के लिए प्रशासक/अध्यक्ष बोर्ड को क्षतिपूर्ति निर्धारण का पूर्ण अधिकार देने को तैयार है।

15. अन्य प्रमाणित सूचनाऐं जो प्रेस अपने मामले के विचारार्थ देना चाहे।

16. उपरोक्त सूचनाऐं तथा प्रेस के संबंध में अन्य समस्त आवश्यक जानकारी इच्छुक प्रेस तीन सील्ड कवरों में निम्न पते पर पर प्रेषित करें :–

जी.के.माथुर
ए–120, राजीव मार्ग, पंचशील नगर,
माकड़वाली रोड़, अजमेर (राज.) 305001

सबसे बाहरी कवर पर भेजने वाले का छद्म नाम व छद्म पता होना चाहिये तथा उपरोक्त सूचना का लिफाफा प्रेस के कार्यालय से कम से कम 200 किलोमीटर दूर के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया जावें।

दूसरे कवर पर पहले से भिन्न छद्म नाम, छद्म पता होना चाहिये।

तीसरे कवर पर भेजने वाले का सही नाम व पता होना चाहिये। इस कवर के अन्दर उपरोक्त जानकारी, अन्य जानकारियां जो प्रेस को देनी चाहिये, वे रखें।